



ANGEL PUBLIC SCHOOL

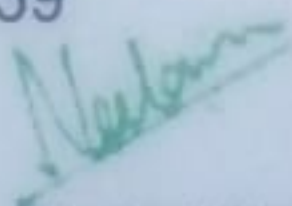
WZ-2, Phase-IIA, Om Vihar,
Uttam Nagar, New Delhi-59
Ph.: 011-25358880, 9136363494

2019-2020



RISHU CHAWLA

Class & Sec : IX (LOTUS)
Admission No. : 2108
Father's Name : MR. RAVINDER KUMAR
Mother's Name : MRS. TRIPTA CHAWLA
Date of Birth : 27.01.2005
Address : WZ-127, OM VIHAR,
UTTAM NAGAR,
NEW DELHI - 59
Phone No. : 9718456018


Principal Sign.

14 X 85 8458 0001000

Tele : Address : "MEDINST"
Telephone : 661123/232

DEPARTMENT OF REHABILITATION
AND ARTIFICIAL LIMBS
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR

No. F. RAL-11/

85-86

NEW DELHI-110029

14-10-1985

This certificate is not valid
for medicolegal cases,

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Shri/Smt/Kum Ravinder kumar
son of/daughter of/wife of Chattan Singh
13 years old Male/Female O. P. D. No. 4334/85
is a case of PPRP (R) lower limb
He/She is a physically handicapped and has 80 % (Eighty percent)
permanent physical impairment in relation to his/her Right lower limb

SENIOR RESIDENT
Deptt. of Rehabilitation &
Artificial Limbs,
A.I.I.M.S., New Delhi-110029

LECTURER
Deptt. of Rehabilitation &
Artificial Limbs,
A.I.I.M.S., New Delhi-110029

(DR. S. K. VERMA)
HEAD OF THE DEPARTMENT

Dr. S.K. Varma,
Head of the Department of
Rehabilitation & Artificial Limbs
A.I.I.M.S., New Delhi-29.

Countersigned by M. S.

MEDICAL SUPDT
A.I.I.M.S., New Delhi-29

★VERMA★

दूरभाष नं० : 345525
Tele. No. : 345525

डॉ० राम मनोहर लोहिया-27 (अ)
D.R.M.L.H.-27 (A)

भारत सरकार/Govt. of INDIA

डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

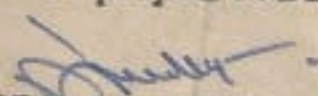
DR. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI

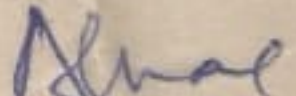
सं०/No. 13-9/95-RMLH(MII)/1253

नई दिल्ली/New Delhi, the 26/9/1995

Kumari Tripta D/o Shri Buta Singh, aged, 18 years, female
R/o H.No.11-B, Mukhram Garden, Tilak Nagar, New Delhi has been
examined vide Ortho No.19420/95 dated 17.8.95.

She is a case of post polio residul paralysis all four
limbs. Her disability is 70%(SEVENTY PERCENT) & permanent. She
is a physically handicapped person.—


(DR. D. MITTAL)
ORTHO SURGEON
MEMBER


(DR. A.K. KHARE)
SR. ORTHO. SURGEON
MEMBER

डॉ० डी. मित्तल/Dr. D. MITTAL

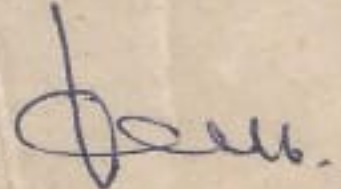
अस्थि-रोग विशेषज्ञ

ORTHOPAEDIC SURGEON

डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,

एन० उपचर्यापुर्त नई दिल्ली।

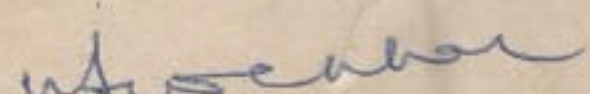
DR. A. K. KHARE M.S.
Senior Orthopaedic Surgeon,
Dr. R.M.L. Hospital, New Delhi


CONTR. SIGN BY CIVIL SURGEON.

अगर लिखित अर्घीयक

डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,

नई दिल्ली-110001


CONTR. SIGN BY HOD ORTHO.

DR. VIJAY LAL KOCHHAR

M.S. Orth.; FACS (USA),

Consultant and Head

Dept. of Orthopaedics

R.M.L. Hosp. & N. Home, N. Delhi

मण्डल सं०

27

आ० ई० वर्ग

घर

खाद्य श्रेणी

गेहूँ

ऊर्जा श्रेणी

गैस

कार्ड सं०

APL27221047

मुखिया का नाम

रविन्द्र कुमार चावला

पिता/पति का नाम

चत्तर सिंह चावला

पता

डब्ल्यू जेड-127 ओम विहार विस्तार,

फेस-1, उत्तम नगर,

नई दिल्ली - 110059

ईकाइयाँ : अनाज

6

चीनी

4

मिट्टी का तेल

उ.द.दु.सं.

2722

उ.द.दु. का नाम व पता

मै० गोयल स्टोर

बैंक रोड नवादा

नई दिल्ली

मिट्टी के तेल के डिपो का ला० न०

मिट्टी के तेल के डिपो का नाम व पता

28/07/2007

जारी करने की तिथि



R. Bhatia

रमेश कुमार

खाद्य संभरण अधिकारी का नाम एवं ह०

आवश्यक सूचना

1. यह कार्ड राशन प्रणालि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए वैध नहीं है।
2. उपभोक्ता कार्ड की किसी प्रविष्टि में अनाधिकृत परिवर्तन न करें।
3. अपना उपभोक्ता कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग हेतु न दें न ही इसे उ.द.दुकानदार या मिट्टी के तेल के दुकानदार को सौंपें।
4. कार्ड खो जाने पर या फट जाने पर इज्जतीकेट कार्ड निर्धारित शुल्क के भुगतान पर मंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5. कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु होने या एक मास से अधिक समय दिल्ली से बाहर रहने पर कार्ड से नाम कटवा लें तथा ऐसे व्यक्ति के हिस्से के विनिर्दिष्ट पदार्थ उ.द. दुकान से न लें।
6. यदि आप अपना निवास बदलते हैं तो इस संबंध में तुरंत अपने मंडल खा.सं.अ. को सूचित करें जोकि यदि आपका नया निवास उसी मंडल क्षेत्र में है तो इस संदर्भ में आपके कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि कर देगा अन्यथा आपका कार्ड जमा कर के समर्पण प्रमाण-पत्र दे देगा ताकि आप संबंधित मंडल कार्यालय से नए पते पर का. बनवा सकें।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सा.वि. प्र. तथा अन्त्येदय अन्न योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पदार्थ उनकी मात्रा तथा मूल्य अलग अलग हो सकते हैं जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं। इनकी सूचना उचित दर दुकानों पर भी दर्शित की जाती है। यह सूचना दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
8. कार्ड में शामिल सभी सदस्य जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, अनाज के 2 यूनिट तथा चीनी की 1 यूनिट के अधिकारी होंगे तथा 12 वर्ष से कम आयु के सदस्य अनाज की 1 यूनिट तथा चीनी की 1 यूनिट के अधिकारी होंगे।
9. ऐसे किसी भी मापदण्ड, जिनके आधार पर उपभोक्ता कार्ड जारी किया गया था, जैसे सदस्यों में वृद्धि या कमी, सदस्यों की आयु में परिवर्तन के कारण इकाइयों में परिवर्तन, कार्ड में दर्ज किसी सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन की प्राप्ति आदि में हुए किसी भी परिवर्तन को तुल्य मंडल खा.सं.अ. को सूचित करें।
10. सभी प्राथम-पत्र मंडल कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊपर बताई गई वेबसाइट में फूड एण्ड सप्लाय डिपार्टमेंट मोड्यूल में गैटिंग राशन कार्ड खंड में जाकर भी ये फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार डाउनलोड किए गए फार्म भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा इसके लिए मंडल कार्यालय में किसी शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
11. कोई भी शिकायत एवं परेशानी संबंधित मंडल कार्यालय में या खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, के ब्लॉक, विकास भवन, इ.प्र. इस्टेट, नई दिल्ली स्थित नियंत्रण कक्ष में फोन नं. 23370841 पर या cfood@nic.in के पते पर ई-मेल द्वारा की जा सकती है।